

अध्याय-३

संविधान निर्माण

परिचय

पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र की स्थापना और इसका विकास कैसे हुआ। किसी लोकतंत्र की सफलता के लिए एक संविधान का होना आवश्यक माना जाता है। किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धान्तों के आधार पर चलता है, उन सिद्धान्तों या नियमों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। संविधानहीन राज्य की कल्पना करना बेमानी है। संविधान के अभाव में राज्य, राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी।

इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमारे लिए संविधान क्यों जरूरी है? यह बनता कैसे है? उसे कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन-कौन से हैं? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं?

हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है जहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान-निर्माण के कार्य को अंजाम दिया। हम इस अध्याय के प्रारंभ में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों एवं मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे काम-काज के लिए बढ़िया ढाँचा उपलब्ध कराता है।

दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान

दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना लंबे संघर्ष का परिणाम है। यहाँ के लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किस प्रकार किया इसके पीछे लंबा इतिहास है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर आधारित शासन व्यवस्था थी। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने डाल दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर-जबर्दस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बाँट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा तीन-चौथाई है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के आलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें 'रंगीन चमड़ी' वाला कहा जाता था ओर भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक, गोरों के अलावा शेष सब को छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था।

रंगभेद की शासन नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने-बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर हीं वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्रतट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग-अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग-अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था।

1950 ई० से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ीवाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और

हड़ताल आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिष्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेतों और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा।

नेल्सन मंडेला का परिचय एवं योगदान का उल्लेख

रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर-जबर्दस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए, गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनैतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियाँ उठा ली गईं। 28 वर्षों तक जेल में कैद रखने के बाद नेलसन मंडेला को आजाद कर दिया गया। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में भी गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिली जुली सरकार के गठन का रास्ता खुला।

यह सब कैसे हुआ? आइए इन असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुँह से यह जाने :-

“ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था, और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था देखें कि मनुष्य जाति पर

विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है।”

नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किये थे उन्हें भूल जाएँ और गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री-पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ-साथ बैठं। दो वर्षों की चर्चा और बहस के बाद एक बेमिसाल संविधान बनाने में वे सफल रहे, इस संविधान में, नागरिकों को व्यापक अधिकार दिये गये। अतीत के दुःख से बाहर निकलकर इस बात पर सहमति बनी कि अब से हर समस्या के समाधान में पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सबकी भागीदारी होगी।

दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। अभी हाल तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह कार्य दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ।

हमें संविधान की जरूरत क्यों है?

हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है? इस बात को दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहनेवाले, दोनों ही साथ-साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना

आसान नहीं था। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत थे। वे इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धान्त से कोई समझौता न हों। उन्हें ढेरो सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी।

लंबी वार्ता के बाद दोनों पक्ष समझौते का गास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीबों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर भी राजी हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन-जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इसे लागू करना कहीं इससे ज्यादा कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा।

ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखित रूप में ले लिया जाए जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या-क्या कर सकती है और क्या-क्या नहीं कर सकती है यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। परंतु ये नियम तभी काम करेंगे जब चुनाव जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर

सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं।

संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही विशेषता नहीं है। हर देश में सार्वभौमिक रूप से इसकी विद्यमानता अनुभव की जाती है, भले ही दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे-कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनैतिक दल सभी को एक संविधान की जरूरत होती है।

संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसे किसी देश के नागरिक स्वाभाविक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ-साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं।

संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख हैं:

पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है।

दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा।

तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं; और

चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आवश्यकताओं को व्यक्त करता है।

जिन देशों में संविधान हैं, वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है, वहाँ संविधान का

होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो।

भारतीय संविधान का निर्माण

भारत में संविधान-निर्माण का कार्य बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच हुआ है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बँटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बँटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था।

विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम-से-कम दस लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आजादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी।

1922 ई. में महात्मा गांधी द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। 1924 ई. में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह माँग की गयी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाये। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और काँग्रेस के आठ अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में

सार्वभौम व्यवस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी।

औपनिवेशिक शासन की राजनैतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने-समझने से भी नई राजनैतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएँ और व्यवस्थाएँ बनानी थीं और चलानी थीं। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया जैसे 1935 ई॰ का भारत सरकार कानून।

आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुँचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रान्ति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। रूस की समाजवादी क्रान्ति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने वाले थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजों भारत के लिए उपयुक्त होंगे। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की।

संविधान सभा

चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बँट गया—भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 ई० को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं।

इस सभा द्वारा पचास साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? इसके पीछे कारण है कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है। यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। पर किसी भी सामाजिक समूह या राजनैतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है।

संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा में भारत के लोगों की ही प्रतिनिधित्व रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय असंबलियों के सदस्यों ने ही किया था। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह जाति, वर्ण, धर्म और देशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का

होता और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धान्त तय किए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप समिति के प्रमुख डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई-कई दौर में चर्चा हुई। दो हजार से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ।

तीन वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकार्ड किया गया और संभाल कर रखा गया। इन्हें कांस्टीट्यूएट असेम्बली डिबेट्स नाम से 12 मोटे-मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्यापकता के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है।

कहाँ पहुँचे ? क्या समझे?

भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़े। आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत करें।-

1. संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे।
2. सभा में समाज के अलग-अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था।
3. सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग-अलग थी।

भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य

इस अध्याय में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं। परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी-बारी से गौर करें।

सपने और वायदे

बच्चों ! तुम्हें भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में महात्मा गांधी का नाम न होने पर हैरानी हुई होगी। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों का अनुयायी थे। 1931 ई० में अपनी पत्रिका 'यंग इंडिया' में उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था : "मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे....मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने ओर उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है, ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल-जोल से रहें। ऐसे भारत में छूआछूत था शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को मर्दों जैसे अधिकार मिले। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा।"

धेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉ. अंबेडकर के मन में भी था जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। असमानता कैसे दूर की जा सकती है इस बारे उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गाँधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था

“26 जनवरी 1950 को हम विशेषाधिकारों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामलों में हमारे यहाँ समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम ‘एक व्यक्ति एक वोट’ और ‘हर वोट का समान महत्व’ के सिद्धान्त को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढाँचे के कारण ही ‘एक व्यक्ति एक वोट’ के सिद्धान्त को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे।”

आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहर लाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें।:

“वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें— पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियाँ जब मध्य रात्रि का घंटा बजाएँगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी-कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर होता है, जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है आवाज आती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आपको भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेवारियाँ लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस सम्प्रभुता सम्पन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं। फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है।”

कहाँ पहुँचे? क्या समझे

- पहले दिए तीनों उद्धरणों को गौर से पढ़ें।
- पहचानिए कि कौन सा विचार इन तीनों उद्धरणों में अवस्थित है।
- इन तीनों उद्धरणों में इस साझे विचार को व्यक्त करने का तरीका किस तरह एक दूसरे से भिन्न है?

जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी और उसे दिशा-निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जाँच परख किए गए वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएँ इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान अपने बुनियादी मूल्यों की एक छोटी-सी उद्देशिका के साथ शुरूआत करता है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालिन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरूआत एक प्रस्तावना से करते हैं।

संयुक्त राज्य के हम सभी लोग

अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का साथ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं।''

आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें:

संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता-सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है— इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान की आत्मा बसती है।

भारत का संविधान

उददेशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण

प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष

लोकतंत्रात्मक

गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की

स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता,

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली

बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में

आज तारिख 26 नवंबर, 1949 ई.

(मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् का दो हजार छह विक्रमी)

को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, व
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

स्वयं करे, स्वयं सीखे

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान की प्रस्तावना की तुलना करें-

- इन सभी में जो विचार साझा है, उनकी सूची बनाएँ।
- इन सभी में कम-से-कम एक बड़े अंतर को रेखांकित करें।
- दोनों में से कौन-सी प्रस्तावना अतीत की ओर संकेत करती हैं।

भारतीय संविधान के आधारभूत विशेषताएँ :

सम्प्रभुता : भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है। यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अन्तिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया, “हम भारत के लोग..... दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान-सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित अधिनियमित और अंगीकृत है।

विशालकाय लिखित संविधान :

भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल और व्यापक संविधान है। इसमें 395 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इस व्यापकता के कई कारण हैं। संविधान संघात्मक है और संघ तथा राज्यों के बीच सम्बन्धों का संविधान में बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। संविधान में मौलिक अधि कारों और विभिन्न परिस्थितियों में उन पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों की व्यवस्था के कारण इसके आकार में वृद्धि हो गयी है। संविधान की विशालता का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय संविधान में न केवल सिद्धान्तों का वर्णन, वरन् प्रशासनिक प्रबन्धों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। वास्तविकता यह है कि भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं है वरन् देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से एक विस्तृत संहिता भी है।

लोकतांत्रिक गणराज्य :

संविधान ने भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। 'लोकतंत्रात्मक' शब्द इस बात का परिचायक है कि सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित है, लोकतंत्रात्मक सरकार जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा स्थापित होती है। सरकार की स्थापना जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होती है और प्रतिनिधियों का चुनाव जनता संविधान द्वारा प्रदत्त वयस्क मताधिकार द्वारा करती है। गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है, जहाँ के शासनाध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। गणराज्य का अर्थ की यही है कि यहाँ शक्ति का सम्पूर्ण स्रोत 'गण' अर्थात् जनता में है।

समाजवादी राज्य :

भारतीय संविधान में प्रशासन के समाजवादी सिद्धान्त पर बल दिया गया

है। जिस राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यक्ति की अपेक्षा संपूर्ण समाज को विकास का समान अवसर प्रदान किया जाता है, उसे समाजवाद कहते हें। इसका उद्देश्य संपूर्ण समाज में आर्थिक राजनीतिक और आधिकारिक दृष्टि से समानता स्थापित करना होता है। हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है।

धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलम्बियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत यह कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या इनमें से किसी एक के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा।

संसदीय शासन प्रणाली

भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। इस शासन व्यवस्था के अन्तर्गत शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रीपरिषद् में निहित होती है। मंत्रीपरिषद् का नियंत्रण व्यावस्थापिका द्वारा होता है और यह व्यवस्थापिका के जीवन पर्यन्त ही अपने पद पर रहती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख ही होते हैं और वे अपने उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रिणा के आधार पर ही कार्य करते हैं।

संघीय शासन प्रणाली

संविधान के प्रारंभ में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अर्थात् यहाँ की शासन-प्रणाली संघीय शासन प्रणाली होगी। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केन्द्रित न हो कर केन्द्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी है। यदि केन्द्र और राज्य सरकारों में अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई वाद-विवाद होता है, तो उसे हल करने का अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली तो है, परंतु यह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा संघ नहीं है, क्योंकि वहाँ राज्यों ने केन्द्र को अधिकार प्रदान किया है। यद्यपि सिद्धान्ततः भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, तथापि व्यावहारिक रूप में उसकी आत्मा एकात्मक है, क्योंकि यहाँ केन्द्र को शक्तिशाली बनाया गया है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना है। संविधान निर्माण के समय भारतीय जनता की स्थिति को देखते हुए न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी था, क्योंकि ऐसा न होने से लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। भारतीय संविधान सारे देश के लिए न्याय प्रशासन की एक ही व्यवस्था करता है जिसके शिखर पर उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय देश के समस्त न्यायालयों, व्यक्तियों, संस्थाओं एवं सरकारों के ऊपर वाध्यकारी होते हैं। जनता को समान न्याय देने के लिए प्यायपालिका का कार्यकारिणी के दबाव और नियंत्रण से स्वतंत्र होना आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रजातंत्र की आधारशिला है।

मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य

बच्चों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों का समावेश

किया गया है। मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा हमें अमेरिकी संविधान से मिली। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं की सबसे बुनियादी मांग यह थी कि लोगों को स्वतंत्रता समानता आदि के कुछ मूलभूत मानव अधिकार मिले। संविधान राज्य द्वारा ऐसी विधि बनाये जाने का निषेध करता है जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। यदि राज्य ऐसा विधि बनाता है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संविधान द्वारा इस प्रकार के 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब सम्पत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके साथ ही भारतीय संविधान में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख कर दिया गया है। संविधान के अधीन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे तथा राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। प्रत्येक नागरिक को इन कर्तव्यों को शिराधार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

बच्चों भारतीय संविधान में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का परम कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य लक्ष्य लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना किया गया है। इसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल दिया गया है।

वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार

हमारे संविधान में वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार की स्थापना की

गई है। संविधान में कहीं भी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, क्षेत्र, भाषा एवं व्यवसाय आदि के आधार पर मताधिकार देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी भारतीय नागरिक, जिन्होंने भारतीय संसद द्वारा निर्धारित व्यस्कता की उम्रसीमा पूरी की है, मताधिकार प्राप्त है। व्यस्कता की उम्र पहले 21 वर्ष थी, परन्तु 1989 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा उम्र सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है।

एकल नागरिकता

बच्चों हमारे देश में संघीय प्रणाली होते हुए भी एकल नागरिकता की ही व्यवस्था है। भारत का कोई भी निवासी चाहे वह किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म या सम्प्रदाय को माननेवाला हो किसी भी भाषा अथवा क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है भारत का नागरिक है। भारत में अखंडता के साथ-साथ मौलिक एकता पर जोर दिया गया है। इसलिए एकल नागरिकता की ही व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हमारे संविधान में हिन्दी की देवनागरी लिपि को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है।

बच्चों अभी तक हमने भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया, इसके दर्शन एवं इसकी विशेषताओं को समझा। परंतु संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। इसलिए समय-समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय-समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं।

संविधान हमारे लोगों की सोच, मनोभाव और प्रगतिशीलता की अभिव्यक्ति

है। राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा मानव का सर्वांगीण विकास इसकी परिवर्तनशीलता का प्रेरक तत्व है।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

1. सम्प्रभुता
2. विशालतम् लिखित संविधान
3. लोकतांत्रिक गणराज्य
4. समाजवादी राज्य
5. धर्मनिरपेक्षता
6. संसदीय शासन प्रणाली
7. संघीय शासन प्रणाली
8. न्यायपालिका की स्वतंत्रता
9. मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य
10. राज्य के नीति निदेशक तत्व
11. वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार
12. एकल नागरिकता
13. एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था

शब्दावली

- संविधान : देश को सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं।
- धारा : किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, अनुच्छेद।
- संविधान सभा : जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है।
- संविधान संशोधन : देश की सर्वोच्च संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव।
- प्रारूप : किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप।
- दर्शन : किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार।
- प्रस्तावना : संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है।
- रंगभेद : दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली-अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था।
- देशद्रोह : देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध।

प्रश्नावली

1. नीचे कुछ गलत वाक्य है। हर एक में की गई गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें।
 - (क) स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था।
 - (ख) भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हरेक बात पर सहमत थे।
 - (ग) जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी।
 - (घ) संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।
2. दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन-सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था
 - (क) दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का
 - (ख) स्त्रियों और पुरुषों का
 - (ग) गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का
 - (घ) रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का।
3. लोकतांत्रिक संविधान में कौन-सा प्रावधान नहीं रहता?
 - (क) शासन प्रमुख के अधिकार
 - (ख) शासन प्रमुख का नाम
 - (ग) विधायिका के अधिकार
 - (घ) देश का नाम

4. संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएँ
 (क) मोतीलाल नेहरू 1. संविधान सभा के अध्यक्ष
 (ख) बी.आर.अंबेडकर 2. संविधान सभा की सदस्य
 (ग) राजेन्द्र प्रसाद 3. प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष
 (घ) सरोजनी नायडू 4. 1928 में भारत का संविधान बनाया
5. जवाहर लाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें:
 (क) नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है?
 (ख) नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं?
 (ग) वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे?
6. हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं। इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए।
 (क) संप्रभु 1. सरकार किसी धर्म के निदेशों के अनुसार काम नहीं करेगी।
 (ख) गणतंत्र 2. फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है।
 (ग) बंधुत्व 3. शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है।
 (घ) धर्मनिरपेक्ष 4. लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए।
7. कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनैतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनैतिक पार्टियाँ राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिये जा सकते हैं। अन्य पार्टियाँ नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थीं।

इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें

8. भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग-अलग विचार इस प्रकार है। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं?
- (क) अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुक्मूत के समय बनी प्रांतीय असंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया।
- (ख) हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह-तरह की आजादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था।
- (ग) हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण बताइए।
- (क) संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है।
- (ख) संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अर्थों का गठन किस तरह होगा।
- (ग) नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है।
- (घ) संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है।
10. भारतीय संविधान का विश्व के दूसरे देशों के संविधान से तुलना करें।

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार किजीए। क्या आप उसे सहमत हैं? अपने कारण को बताइए।

- (क) भारत एक हिन्दू बहुल राष्ट्र है, इस कारण हिन्दूओं को विशेषाधि कार प्राप्त है।
- (ख) भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का पद वंशानुगत है।
- (ग) नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- (घ) कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है।

12. भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएँ नहीं हैं-

- (क) विशालतम और व्यापक संविधान
- (ख) धर्मनिरपेक्षता
- (ग) मूल अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य
- (घ) साम्यवादी शासन

भारतीय संविधान के निर्माण में बिहार के कौन-कौन से नेता सक्रिय थे? इनकी पहचान करें तथा इनके बारे में सूचना एकत्र करें।

आइए अखबार पढ़ें-संविधान संशोधन के किसी प्रस्ताव या किसी संशोधन की माँग से संबंधित अखबारी खबरों को ध्यान से पढ़िए। आप किसी एक विषय पर, जैसे संसद/विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण विषय पर छपी खबरों पर गौर कर सकते हैं। क्या इस सवाल पर कोई सार्वजनिक चर्चा हुई थी?

संशोधन के पक्ष में क्या-क्या तर्क दिए गए हैं? संविधान संशोधन पर विभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या यह संशोधन हो गया है?